

इलेक्टोरल बॉण्ड जमा पर्वी
ग्राहक प्रति



दिनांक ____ / ____ / 20__

चेक/डीडी/यूटीआर/आइ.एन.बी संदर्भ सं.	
नामों किए जाने वाले खाते का नंबर	
बैंक का नाम	
राशि (शब्दों में) रुपये	
आइएफएससी कोड	

खरीद का ब्योरा

मूल्यवर्ग	बांडों की संख्या	राशि (रु.)
1,000		
10,000		
1,00,000		
10,00,000		
1,00,00,000		
कुल		

राशि (शब्दों में) रुपये

इलेक्टोरल बॉण्ड योजना के नियम एवं शर्तें पृष्ठ के दूसरी ओर मुद्रित हैं।

आवेदक (को)/प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

बैंक पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

इलेक्टोरल बॉण्ड जमा पर्वी
बैंक प्रति



मैंने/हमने इलेक्टोरल बॉण्ड योजना 2018 के नियम एवं शर्तों* को पढ़कर समझ लिया है और निम्नानुसार बॉण्ड खरीदना चाहते हैं
खरीद का ब्योरा

दिनांक ____ / ____ / 20__

मूल्यवर्ग	बांडों की संख्या	राशि (रु.)
1,000		
10,000		
1,00,000		
10,00,000		
1,00,00,000		
कुल		

चेक/डीडी/यूटीआर/आइ.एन.बी संदर्भ सं.	
नामों किए जाने वाले खाते का नंबर	
बैंक का नाम	
राशि (शब्दों में) रुपये	
आइएफएससी कोड	

आवेदक (को) का हस्ताक्षर

राशि (शब्दों में) रुपये

प्राधिकरण

मैं/हमने _____ इलेक्टोरल बॉण्ड का आवेदक (को) एतद्वारा श्री/श्रीमती _____ को भेरी / हमारी ओर से उपरोक्त इलेक्टोरल बॉण्ड प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं।

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

आवेदक (को) के हस्ताक्षर

उपरोक्त विवरण के अनुसार बॉण्ड प्राप्त किए।

प्राप्ति

आवेदक (को) / प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

बैंक पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

शाखा के लिए अनुरोध : इस पर्वी पर आवेदक (को) का हस्ताक्षर इलेक्टोरल बॉण्ड आवेदन पत्र पर किए हुए आवेदक (को) के हस्ताक्षर से मिलना चाहिए।

* इलेक्टोरल बॉण्ड योजना के नियम एवं शर्तें पृष्ठ के दूसरी ओर मुद्रित हैं।

नियम एवं शर्तें

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक बैंकिंग लिखत होगा जिसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, (भारत सरकार) द्वारा जारी गजट अधिसूचना सं. 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 29 क के तहत पंजीकृत हों और जिन्हे लोकसभा और विधानसभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना सं. 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा में खोले गए अपने नामित बैंक खाते में इसे जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वैधता उसके निर्गम की तारीख से 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड की मूल प्रति गुम हो जाने का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

नियम एवं शर्तें

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक बैंकिंग लिखत होगा जिसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, (भारत सरकार) द्वारा जारी गजट अधिसूचना सं. 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 29 क के तहत पंजीकृत हों और जिन्हे लोकसभा और विधानसभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना सं. 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा में खोले गए अपने नामित बैंक खाते में इसे जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वैधता उसके निर्गम की तारीख से 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड की मूल प्रति गुम हो जाने का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा। कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड के बदले में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।